न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— निरमा बिश्नोई आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:— 53/2023 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. रत्नाकर रिपनर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर शंकर लाल पुत्र श्री नन्दा जी जाट आयु वयस्क निवासी— मोखमपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1. रतन पुत्र श्री धीसू जाट आयु वयस्क निवासी राणीखेड़ा उर्फ गुलाबपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. जशोदा पुत्री श्री उगमा जाट आयु वयस्क निवासी राणीखेड़ा उर्फ गुलाबपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. मीरा पुत्री श्री उगमा जाट आयु वयस्क निवासी— राणीखेड़ा उर्फ गुलाबपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. रामकन्या पुत्री श्री उगमा जाट आयु वयस्क निवासी— राणीखेड़ा उर्फ गुलाबपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. सायरी पुत्री श्री उगमा जाट आयु वयस्क निवासी— राणीखेड़ा उर्फ गुलाबपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. हेमराज पुत्र श्री उगमा जाट आयु वयस्क निवासी— राणीखेड़ा उर्फ गुलाबपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. हरफूल पुत्र श्री उगमा जाट आयु वयस्क निवासी— राणीखेड़ा उर्फ गुलाबपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. उदय लाल पुत्र श्री मगना जाट आयु वयस्क निवासी— राणीखेड़ा उर्फ गुलाबपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. कोयली पत्नी श्री मगना जाट आयु वयस्क निवासी— राणीखेड़ा उर्फ गुलाबपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
10. गीता देवी पुत्री श्री मगना जाट आयु वयस्क निवासी— राणीखेड़ा उर्फ गुलाबपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
11. देऊ देवी पुत्री श्री मगना जाट आयु वयस्क निवासी— राणीखेड़ा उर्फ गुलाबपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
12. पुखराज पुत्र श्री मगना जाट आयु वयस्क निवासी— राणीखेड़ा उर्फ गुलाबपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
13. लीला पुत्री श्री मगना जाट आयु वयस्क निवासी— राणीखेड़ा उर्फ गुलाबपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
14. श्रीमती गमानी देवी पत्नी श्री रामकरण जाट आयु वयस्क निवासी— राणीखेड़ा उर्फ गुलाबपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
15. शंकरी देवी पत्नी श्री राजकुमार जाट आयु वयस्क निवासी— राणीखेड़ा उर्फ गुलाबपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
16. ग्रीन पर्ल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 39 हीरा पन्ना मार्केट, पुर रोड़ भीलवाड़ा जरिये डायरेक्टर।
17. घीसी पुत्री बालू जाट आयु वयस्क निवासी— आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बनेड़ा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बनेड़ा (भील.)

18. जमना पुत्र श्री जग्गा जाट आयु वयस्क निवासी– राणीखेड़ा उर्फ गुलाबपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
19. श्री नन्दा पुत्र श्री नारायण जाट निवासी राणीखेड़ा उर्फ गुलाबपुरा तहसील बनेड़ा की फौत होने से विधिक वारिसान श्रीमती सुन्दर पुत्री स्व0 श्री नन्दा जाट पत्नी श्री घीसू जाट आयु वयस्क निवासी– डेढवास (नारायणपुरा) तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0)
20. भैरू पुत्र श्री बालू जाट आयु वयस्क निवासी– आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0)
21. राजू पुत्र श्री अगमा जाट आयु वयस्क निवासी– राणीखेड़ा उर्फ गुलाबपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
22. श्रीमती लादी देवी पत्नी श्री अमरचन्द गुर्जर आयु वयस्क निवासी– बजोड़ो का खेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
23. सुशील कुमार लाठी पुत्र श्री मदन लाल लाठी जाति महाजन आयु वयस्क निवासी पुरानी धानमण्डी, कसारा बाजार, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0)
24. हीरा पुत्री श्री बालू जाट आयु वयस्क निवासी– आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0.)
25. राजस्थन राज्य जरिये तहसीलदार साहब, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
26. बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) जरिये शाखा प्रबंधक
27. दी सैन्ट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक लि0 शाखा बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) जरिये शाखा प्रबंधक।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1– श्री पृथ्वीराज चौधरी (अधिवक्ता प्रार्थी)

निर्णय

दिनांक 27.03.2023

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) के अन्तर्गत दिनांक 09.02.2023 को प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अनुसार मौजा राणीखेड़ा उर्फ गुलाबपुरा पटवार हल्का लाम्बिया कला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रायला तहसील बनेड़ा में स्थित आराजी नं 390/4, 391, 401/1, 401/2, 395, 396, 397, 398 स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है। उपरोक्त आराजियात पर आने–जाने का एकमात्र रास्ता जो कि सरकारी रास्ते से होकर विपक्षीगण के आराजी नं. 392/4, 392/2, 394/2, 392/1, 384, 375, 377, 374 की रेलवे लाईन की तरफ वाली मेड़ से होकर प्रार्थी की आराजीयात में आता–जाता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजीयात में आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। अतः विपक्षीगण की आराजीयात 392/4, 392/2, 394/2, 392/1, 384, 375, 377, 374 की रेलवे लाईन की तरफ वाली मेड़ के सहारे–सहारे से करीब 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए प्रार्थी सदैव तैयार है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बनेड़ा (भील.)

प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों के संदर्भ में विपक्षीगण नियत पेशी दिनांक को अनुपस्थित रहे। देखने तामील संज्ञान में आया की विपक्षी सं. 19 की फौत हो चुकी है। इस संबंध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 17.03.2023 को कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा विपक्षी सं. 19 के वारिसान को सम्मन/नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

प्रकरण में तहसीलदार बनेड़ा को दिनांक 28.02.2023 से निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251--(क) के मध्यनजर प्रस्ताव भिजवाया जावें।

तहसीलदार बनेड़ा के पत्र दिनांक 17.03.2023 द्वारा निर्धारित प्रारूप में मय हल्का पटवारी लाम्बियाकलां द्वारा तरतीब दिया पर्चा मौका रिपोर्ट, प्रस्तावित नक्शा ट्रेस, एवं जमाबन्दी प्राप्त होकर शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में तहसीलदार बनेड़ा से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार रेकार्ड व मौके की निम्न स्थिति स्पष्ट की गई:–

1. मौजा राणीखेड़ा उर्फ गुलाबपुरा पटवार हल्का लाम्बिया कला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रायला तहसील बनेड़ा में स्थित आराजी नं 390/4, 391, 401/1, 401/2, 395, 396, 397, 398 स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है।
2. प्रार्थी की उक्त खातेदारी आराजी में जाने हेतु प्रस्तावित रकबा मौजा राणीखेड़ा उर्फ गुलाबपुरा पटवार हल्का लाम्बिया कला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रायला तहसील बनेड़ा में स्थित आराजी नं. 374 रकबा 0.4932 है0 भूमि किस्म बीड बंजड मे से 0.0107 है0, आराजी नम्बर 375, रकबा 0.7208 है0 मे से 0.0805 है0, आराजी नम्बर 377 रकबा 2.2258 है0, मे से 0.0580 है0, आराजी नम्बर 384 रकबा 2.2258 है0 मे से 0.0412 है0, आराजी नम्बर 392/1 रकबा 1.3152 है0 मे से 0.0458 है0, आराजी नम्बर 392/2 रकबा 1.2393 है0 मे से 0.0381 है0, आराजी नम्बर 392/4 रकबा 0.2150 है0 मे से 0.0610 है0 भूमि कुल किता–07 रकबा 8.4351 है0 भूमि मे से 0.3353 है0 भूमि बिलानाम गे.मु. रास्ता दर्ज करने हेतु रिपार्ट प्रस्तावित की गई।
3. प्रार्थी की उक्त खातेदारी आराजी में जाने हेतु प्रस्तावित रकबा आराजी नं. 374 विपक्षी सं. 17 लगायत 24 एवं श्री पप्पु लाल पुत्र रामकरण जाट नि. ईरास तहसील आसीन्द के नाम, आराजी नम्बर 375, 377 विपक्षी सं. 16 के नाम, आराजी नम्बर 384 विपक्षी सं. 14 एवं 15 के नाम, आराजी नम्बर 392/1 विपक्षी सं. 8 लगायत 13 के नाम, आराजी नम्बर 392/2 विपक्षी सं. 2 लगायत 7 के नाम, आराजी नम्बर 392/4 विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज रेकार्ड है।
4. वर्तमान में मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नही होकर उक्त प्रस्तावित रास्ता ही उपयुक्त बताया है।
5. प्रकरण में प्रस्तावित भूमि की डीएलसी दर की भी प्रति संलग्न की गई है।

पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, संलग्न दस्तावेज, व तहसीलदार बनेड़ा के प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। उपरोक्त सभी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में आराजीयात सं. 390/4, 391, 401/1, 401/2, 395, 396, 397, 398 कुल किता 8 रकबा 4.7803 है0 भूमि पर पहुंच हेतु रास्ता उपलब्ध कराना जरूरी है। उपरोक्त आराजीयात पर पहुंच हेतु यह भी स्पष्ट है कि आराजी नं. 374, 375, 377, 384, 392/1, 392/2, 392/4 कुल किता 7 रकबा 8.4351 है0 किस्म बीड़ बंजड़ भूमि मे से 0.3353 है0 भूमि बिलानाम गे.मु. रास्ता चाहा गया है।

अतः प्रकरण में संक्षिप्त जांच में मेरा यह समाधान है कि प्रार्थीगण को अपनी उपरोक्त जोत में जाने हेतु अन्य खातेदार/अप्रार्थीगण की आराजीयात सं. 374, 375, 377,

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

384, 392/1, 392/2, 392/4 में से होकर एक नया मार्ग बनाने की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह सिर्फ सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है व उपरोक्त आराजीयात तक पहुचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक साधन/रास्ता उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रकरण में तहसीलदार बनेड़ा से प्राप्त रास्ते हेतु प्रस्ताव अनुसार आराजी नं. 374, 375, 377, 384, 392/1, 392/2, 392/4 में से नवीन रास्ता प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार स्वीकार इस आशय के साथ किया जाता है कि विपक्षी सं. 17 लगायत 24 एवं श्री पप्पु लाल पुत्र रामकरण जाट नि. ईरास तहसील आसीन्द की आराजी सं. 374 रकबा 0.4932 है0 भूमि में से 0.0107 है0 की प्रतिकर राशि 3745 रूपये, विपक्षी सं. 16 की आराजी सं. 375 रकबा 0.7208 है0 में से 0.0805 है0 एवं आराजी नं. 377 रकबा 2.2258 है0 में से 0.0580 है0 की प्रतिकर राशि 48474 रूपये, विपक्षी सं. 14, 15 की आराजी सं. 384 रकबा 2.2258 में से 0.0412 है0 की प्रतिकर राशि 14420 रूपये, विपक्षी सं. 8 लगायत 13 की आराजी सं. 392/1 रकबा 1.3152 है0 में से 0.0458 है0 की प्रतिकर राशि 16030 रूपये, विपक्षी सं. 2 लगायत 7 की आराजी नं. 392/2 रकबा 1.2393 है0 में से 0.0381 है0 की प्रतिकर राशि 13335 रूपये तथा विपक्षी सं. 1 की आराजी सं. 392/4 रकबा 0.2150 है0 भूमि में से 0.0610 है0 की प्रतिकर राशि 21350 रूपये डीएलसी की दुगनी दर अनुसार भुगतान करेगें।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अनुसार मौजा राणीखेड़ा उर्फ गुलाबपुरा पटवार हल्का लाम्बिया कला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रायला तहसील बनेड़ा में स्थित आराजी नं. 374 रकबा 0.4932 है0 भूमि किस्म बीड बंजड मे से 0.0107 है0, आराजी नम्बर 375, रकबा 0.7208 है0 मे से 0.0805 है0, आराजी नम्बर 377 रकबा 2.2258 है0, मे से 0.0580 है0, आराजी नम्बर 384 रकबा 2.2258 है0 मे से 0.0412 है0, आराजी नम्बर 392/1 रकबा 1.3152 है0 मे से 0.0458 है0, आराजी नम्बर 392/2 रकबा 1.2393 है0 मे से 0.0381 है0, आराजी नम्बर 392/4 रकबा 0.2150 है0 मे से 0.0610 है0 भूमि कुल किता–07 रकबा 8.4351 है0 भूमि मे से 0.3353 है0 भूमि नवीन रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तावित उक्त 0.3353 है0 जिसे नक्शा ट्रेस में प्रर्दश किया गया है, जिसकी एक प्रति तथा नजरी नक्शा की एक प्रति तहसीलदार बनेड़ा को भिजवायी जाकर रास्ता कायम किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने से मौजा राणीखेड़ा उर्फ गुलाबपुरा पटवार हल्का लाम्बिया कला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रायला तहसील बनेड़ा में स्थित आराजी नं 390/4, 391, 401/1, 401/2, 395, 396, 397, 398 में पहुचने हेतु मौजा राणीखेड़ा उर्फ गुलाबपुरा पटवार हल्का लाम्बिया कला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रायला तहसील बनेड़ा में स्थित आराजी नं. 374 रकबा 0.4932 है0 भूमि किस्म बीड बंजड मे से 0.0107 है0, आराजी नम्बर 375, रकबा 0.7208 है0 मे से 0.0805 है0, आराजी नम्बर 377 रकबा 2.2258 है0, मे से 0.0580 है0, आराजी नम्बर 384 रकबा 2.2258 है0 मे से 0.0412 है0, आराजी नम्बर 392/1 रकबा 1.3152 है0 मे से 0.0458 है0, आराजी नम्बर 392/2 रकबा 1.2393 है0 मे से 0.0381 है0, आराजी नम्बर 392/4 रकबा 0.2150 है0 मे से 0.0610 है0 भूमि कुंल किता–07 रकबा 8.4351 है0 भूमि मे से 0.3353 है0 प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमलदरामद तहसीलदार बनेड़ा द्वारा किया जावें। उक्त रास्ते की एवज में प्रतिकर के रूप में विपक्षी सं. 17 लगायत 24 एवं श्री पप्पु लाल पुत्र रामकरण जाट नि. ईरास तहसील आसीन्द की आराजी सं. 374 रकबा 0.4932 है0 भूमि में से 0.0107 है0 की प्रतिकर राशि 3745 रूपये, विपक्षी सं. 16 की आराजी सं. 375 रकबा 0.7208 है0 में से 0.0805 है0 एवं आराजी नं. 377 रकबा 2.2258 है0 में से 0.0580 है0 की

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बनेड़ा (भील.)

प्रतिकर राशि 48474 रूपये, विपक्षी सं. 14, 15 की आराजी सं. 384 रकबा 2.2258 में से 0.0412 है0 की प्रतिकर राशि 14420 रूपये, विपक्षी सं. 8 लगायत 13 की आराजी सं. 392/1 रकबा 1.3152 है0 में से 0.0458 है0 की प्रतिकर राशि 16030 रूपये, विपक्षी सं. 2 लगायत 7 की आराजी नं. 392/2 रकबा 1.2393 है0 में से 0.0381 है0 की प्रतिकर राशि 13335 रूपये तथा विपक्षी सं. 1 की आराजी सं. 392/4 रकबा 0.2150 है0 भूमि में से 0.0610 है0 की प्रतिकर राशि 21350 रूपये डीएलसी की दुगनी दर अनुसार भुगतान किया जावेगा उक्त रास्ते हेतु अपेक्षित भूमि राजस्व रेकार्ड में रास्ते के रूप में अभिलिखित की जाएगी तथा प्रार्थीगण को रास्ते के अलावा अन्य कोई अधिकार अप्रार्थीगण की भूमि में अर्जित नहीं होगा।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(निरमा बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
(भीलवाड़ा)